राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1244/2023

राज बिहारी मित्तल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HOFF), वन विभाग, राजस्थान सरकार, अरण्य भवन, एम.जी.रोड, झालाना इंस्टीट्यूनल एरिया, जयपुर (राज.)।
3. मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, वन विकास परियोजना, राजस्थान सरकार, कोटा (राज.)।
4. उप वन संरक्षक, वन विभाग, राजस्थान सरकार, बूंदी (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.04.2023
आदेश की दिनांक : 17.12.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री नितेश कुमार गर्ग, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 30.08.2010, 07.04.2015 तथा 10.10.2022 को अपास्त फरमाया जावे और समस्त पारिणामिक लाभ संशोधित किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति रेंजर ग्रेड प्रथम के पद पर हुई थी और उसे आदेश दिनांक 01.07.1996 के द्वारा रेंजर ग्रेड प्रथम के पद पर पदस्थापित किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी को दिनांक 24.01.2004 को आरोप पत्र दिया गया, जिसमें दो आरोप अपीलार्थी पर आरोपित किये गये तथा सीसीए नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक

कार्यवाही की गई और उक्त आरोप के संबंध में अपीलार्थी ने विस्तृत जवाब दिनांक 07.02.2008 को प्रस्तुत किया गया और जो आरोप अपीलार्थी पर लगाये गये हैं, उनका अपीलार्थी ने खंडन किया। आलोच्य आदेश दिनांक 30.08.2010 के द्वारा अपीलार्थी को परिनिंदा के दण्ड से दण्डित किया गया तथा रूपये 12,899/– राशि की वसूली किये जाने के आदेश जारी किये गये। उनका कथन है कि वर्ष 2012 से पूर्व मंडल वन अधिकारी था और वर्ष 2012 के बाद उक्त पद का नाम उप वन संरक्षक नाम परिवर्तन किया गया। इस प्रकार जारी किया गया वसूली आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है। आरोप पत्र एवं दण्डादेश मंडल वन अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है, जो नियम विरूद्ध है और इस प्रकार डीएफओ/उप वन संरक्षक, बूंदी विशेष रूप से इनको अधिकार नहीं था। ऐसे मामले में शाहबुद्दीन शेख मंसूर बनाम जे.एस.ठाकर व अन्य में माननीय गुजरात हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.05.1967 पैरा संख्या 7 में दण्ड एवं वसूली के संबंध में आदेश दिया गया है और इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध जारी किया गया वसूली आदेश असक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जो नियम विरूद्ध है और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की अपील दिनांक 07.04.2015 को निस्तारित की गई, जिसमें परिनिंदा के दण्ड को अपास्त किया गया और वसूली आदेश को यथावत रखा गया। अपीलार्थी का नियोक्ता अधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर था और जबकि वसूली आदेश मंडल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक द्वारा जारी किया गया है। जबकि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 28.03.2001, 29.08. 2005 एवं 13.02.2012 जिसके तहत उक्त मंडल वन अधिकारी नियोक्ता अधिकारी नहीं है और इस प्रकार उक्त अधिकारी के द्वारा जारी किया गया वसूली आदेश विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 30.08.2010, 07.04.2015 तथा 10.10.2022 को अपास्त फरमाया जावे और समस्त पारिणामिक लाभ संशोधित किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रभारी अधिकारी ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि राज्य सरकार द्वारा जो भी कार्यवाही व दंड दिया गया है, वो विधि सम्मत एवं नियमानुसार दिया गया है। विभाग द्वारा अधिकारी व कर्मचारी को जो भी उत्तरदायित्व दिया जाता है, उसका भलीभांति निर्वहन नहीं करने पर ही विभाग/सरकार द्वारा कार्यवाही की जाती है। जिले में

पदस्थापित अधिकारी मंडल वन अधिकारी या उप वन संरक्षक एक ही पद है, कोई विरोधाभास नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति रेंजर ग्रेड प्रथम के पद पर हुई थी और उसे आदेश दिनांक 01.07.1996 के द्वारा रेंजर ग्रेड प्रथम के पद पर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी को दिनांक 24.01.2004 को आरोप पत्र दिया गया, जिसमें दो आरोप अपीलार्थी पर आरोपित किये गये तथा सीसीए नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। आलोच्य आदेश दिनांक 30.08.2010 के द्वारा अपीलार्थी को परिनिंदा के दण्ड से दण्डित किया गया तथा रूपये 12,899/– राशि की वसूली किये जाने के आदेश जारी किये गये। आरोप पत्र एवं दण्डादेश मंडल वन अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की अपील दिनांक 07.04.2015 को निस्तारित की गई, जिसमें परिनिंदा के दण्ड को अपास्त किया गया और वसूली आदेश को यथावत रखा गया। जहां तक अपीलार्थी को वसूली आदेश असक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 07.04.2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई है, जिसमें मंडल वन अधिकारी, बूंदी द्वारा आदेश दिनांक 30.08.2010 से दिये गये दण्ड में वसूली राशि का दण्ड यथावत रखा जाकर परिनिंदा के दण्ड को निरस्त किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी को दिये गये परिनिंदा के दण्ड को अपास्त कर दिया गया है तथा वसूली आदेश को यथावत रखा गया है, जहां तक आदेश दिनांक 30.08.2010 के द्वारा अपीलार्थी के संबंध में वसूली आदेश जारी किये जाने का प्रश्न है, उक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश कार्यालय मंडल वन अधिकारी, बूंदी द्वारा जारी किया गया है, जो मंडल वन अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। जबकि कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर द्वारा परिपत्र दिनांक 13.02.2012 में निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं :–

> *''उपरोक्त संदर्भित परिपत्रों के माध्यम से समस्त वन अधिकारियों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे अपने अधीनस्थ लोक सेवकों जिनके वे नियुक्ति अधिकारी नहीं हैं, उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के उपरांत यदि राजकीय वसूली का निष्कर्ष निकलता हो तो उसकी वसूली हेतु प्रकरण निष्कर्षात्मक टिप्पणी के साथ निर्णय हेतु इस कार्यालय को भिजवायेंगे, परंतु अभी भी कतिपय प्रकरणों में यह देखने में आया है कि वन अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ लोक सेवकों के विरूद्ध जिनके वे नियुक्ति अधिकारी नहीं हैं,*

अनुशासनिक कार्यवाही कर राज्य सरकार को हुई आर्थिक हानि की वसूली के आदेश जारी कर दिये जाते हैं, ऐसे प्रकरणों के विरूद्ध अपील करने पर संबंधित लोक सेवक को वैधानिक त्रुटि का लाभ मिलने की संभावना बनी रहती है।''

इससे स्पष्ट है कि किसी भी कार्मिक के विरूद्ध वसूली के संबंध में आदेश जारी करने के लिये सक्षम अधिकारी उनका नियोक्ता अधिकारी ही है। जबकि वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी का नियोक्ता अधिकारी मंडल वन अधिकारी न होकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक है। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी के विरूद्ध जारी किया गया वसूली आदेश असक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 30.08.2010 (अनुलग्नक–2), 07.04.2015 (अनुलग्नक–3) एवं 10.10.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी के विरूद्ध जारी किया गया परिनिंदा एवं वसूली दण्डादेश को अपास्त फरमाये जाने पर उसके द्वारा जो लाभ रोके गये हैं, उन सभी लाभों को अपीलार्थी को प्रदान किये जावे तथा जो राशि रूपये 12,899/– अपीलार्थी से यदि वसूल की गई है तो उसे वापिस लौटाई जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष